

पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे /
कानून व्यवस्था / प्रांतोर्गैल राजकार्य में
होने कारण दिनांक 27/3/25
के कारण मुकदमा में आगामी तारीख
पेशी दिनांक 7/4/25
नियत की जाती है

7/4/25

वकील पक्षाकारान उप० अपार्थी ए०-2 की डिलीवरी
रक्षा हेतु व शीघ्र जवाब प्राप्ति हेतु पत्रावली
दिनांक 16/4/25 को पेश की पुनश्च इतना लिखने
पर अपार्थी ए०-2 का तलबाना / सम्मान पेश किया
गया। जो जारी की पत्रावली दिनांक 16/4/25 को
पेश की

882

16/4/25

वकील पक्षाकारान उप० अपार्थी ए०-2 रजि० नोटिस
जारी क्रिमे जाने पर उप० नहीं। इनके विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अपार्थी
ए० 1 व 3 के जवाब प्राप्ति हेतु पूर्व में कई प्रस्ताव
दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया गया।
अपार्थी ए० 1 व 3 का जवाब प्राप्ति बंद किया
गया जाता है। बहस हेतु पत्रावली दिनांक
20/5/2025 को पेश की

882

पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे /
कानून व्यवस्था / प्रांतोर्गैल राजकार्य में
होने कारण दिनांक 20/5/25
के कारण मुकदमा में आगामी तारीख
पेशी दिनांक 30/6/25
नियत की जाती है

67

30/6/25

वकील पक्षाकारान उप०। बहस वकील पक्षाकारान
सुनी गई। वकील अपार्थी द्वारा विवादित आराजी
खसरा नम्बर 101। रकबा 18 बिस्वा, खज० 102
रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खज० 103 रकबा 5 बिस्वा
खज० 151। रकबा 2 बिस्वा, खज० 187 रकबा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामीर में जारी हुए

01 बीघा 16 बिस्वा त्वन. 383/361 रकबा 5 बीघा
त्व०न० 526/169 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा को
ग्राम बादपुर पर पार्थी के हिस्से की भूमि
का पार्थी के कब्जे काशत में जादा 30 फुट
नहीं करने एवं रहन बैचान नहीं किये जाने
हेतु अपार्थीगणों को पाबन्द किये जाने हेतु
निवेदन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पार्थी
एवं अपार्थीगण की उक्त विवादित भूमि लामली
भूमि है। प्रथम दृष्टया व सुविधा का लम्बुलक
पार्थी के पक्ष में ही पार्थी व पार्थीना पत्र
स्वीकार किया जाता है। अपार्थीगणों को ताप्रेसल
अस्थायी निर्बंधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि
विवादित आराजी ख०न० 101।। रकबा 18 बिस्वा,
त्व०न० 102 रकबा 1-6 बीघा, त्व०न० 103 रकबा
4 बिस्वा, त्व०न० 151।। रकबा 2 बिस्वा, त्व०न०
187 रकबा 01-16 बीघा, त्व०न० 383/361 रकबा
5 बीघा, ख०न० 526/169 रकबा 1-14 बीघा को
ग्राम बादपुर में पार्थी के हिस्से की भूमि को
बेदखल नहीं करें एवं उक्त आराजीयात को
रहन बैचान नहीं करें। पत्रावली फेललशुमार
नैकर नम्बर से कम ही तथा वाद तक्मील
इफ्तद दारखिल हो।

882

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)